२५

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 94 / 2024 – निगरानी

1. ग्राम पंचायत डाबला कचरा जरिये सरपंच एवं सचिव तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।

–निगराकार

बनाम

1. श्री कल्याण माली पुत्र श्री रघुनाथ माली निवासी ग्राम पंचायत डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध श्री कल्याण माली निवासी ग्राम पंचायत डाबला कचरा पट्टा क्रमांक 107, दिनांक 15.12.2004

उपस्थित –

1. श्री शिवराज कुमावत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री कल्याण माली स्वंय – गैर निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक २५ .12.2024

1. निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत डाबला कचरा द्वारा गैरनिगराकार श्री कल्याण माली को डाबला कचरा में पट्टा संख्या 107 आदेश दिनांक 15.12.2004 को जारी किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया जिसका नाप 35 गुणा 193 फीट पडोस पूर्व में आम रास्ता पश्चिम में स्वंय का कब्जा उत्तर में नाना पिता रधुनाथ माली दक्षिण में गोगा पिता श्री किशन माली है। पट्टे की भूमि के समीप ही रामकरण पुत्र बन्ना सुथार का बाड़ा भी स्थित है, जिसमें पंचायत एवं पंचायत समिति शाहपुरा को गैर निगराकार के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसके बाडे में जाने के रास्ते को गैरनिगराकार ने रोक दिया है। रास्ता दिलाया जावें। इस पर पंचायत समिति शाहपुरा के विकास अधिकारी ने दिनांक 20.06.2024 को जांच दल गठित किया जिसके आदेशानुसार दल के सदस्य श्री सूर्यप्रकाश शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं मिश्री लाल कोली कार्यवाहक सहायक विकास अधिकारी ने दिनांक 01.07.024 को मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि गैर निगराकार के पट्टा सूदा जमीन के नाप में आबादी भूमि के अलावा बिलानाम भूमि भी पट्टे में शामिल की गयी है। बिलानाम भूमि का पट्टा बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत का नहीं होता है। पंचायत समिति की जांच में गैर निगराकार का पट्टा नियमानुसार नहीं पाया गया। गैर निगराकार ने पट्टे को दिनांक 08.03.2018 को तहसील कार्यालय शाहपुरा में पंजीयन करा दिया जिसको

जिला कलक्टर
शाहपुरा

लिपिकीय त्रटी वश जारी होने से कोरम के प्रस्ताव दिनांक 21.09.2020 द्वारा निरस्त किया गया तथा गैर निगराकार की सहमति से दिनांक 01.01.2021 को पट्टा विलेख निरस्तीकरण पत्र लिखाया जाकर पंजियन कार्यालय से पंजियन निरस्त कराया गया। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 107 दिनांक 15.12.2024 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार की ओर से स्वयं श्री कल्याण माली उपस्थित।

3. गैर निगराकार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी को ग्राम पंचायत डाबला कचरा ने पट्टा संख्या 107 दिनांक 15.12.2004 को जारी किया गया था। उक्त पट्टा में आबादी भूमि के अलावा बिलानाम भूमि में भी जारी कर दिया गया जो कि नियम विरूद्ध है। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत डाबला कचरा द्वारा पेश की गयी निगरानी को स्वीकार कर दी जावे तो मुझे कोई ऐतराज नही है। मुझ प्रार्थी को आबादी भूमि में ही पट्टा बनवाना है जो नियमानुसार भी होगा।

4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब तथा साक्ष्यों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगराकारान द्वारा अपनी निगरानी में यह जाहिर किया कि गैर निगराकार को आबादी भूमि के अलावा बिलानाम भूमि का भी पट्टा जारी कर दिया गया है जिसका अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का परीक्षण करने पर पाया गया है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत डाबला कचरा द्वारा जारी पट्टे में आबादी भूमि के अलावा बिलानाम भूमि से भी जारी कर दिया गया जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। गैर निगराकार श्री कल्याण माली द्वारा पट्टे का पंजीयन दिनांक 08.03.2018 को करवाने के बाद दिनांक 21.09.2020 को कोरम द्वारा लिपिकीय त्रुटि मानते हुये गैर निगराकार की सहमति से पंजीयन निरस्त करवाया गया। ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत डाबला कचरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 107 दिनांक 15.12.2004 खारिज किय किये जाने योग्य है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 107 दिनांक 15.12.2004 स्वीकार की जाकर उक्त पट्टे को निरस्त के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत डाबला कचरा पंचायत समिति शाहपुरा को प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा